

Order sheet [Contd]

case No. -366/17 B.A

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
25-10-17 11:00 A.m. to 11:15 A.m.	<p>आवेदकगण/अभियुक्तगण हेम सिंह एवं प्रदीप सिंह, द्वारा श्री केशव सिंह गुर्जर उपस्थित।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>थाना मौँ के अपराध क्रमांक <u>261/17</u> अंतर्गत धारा 323, 294, 452, 506 एवं 34 भा0दं0सं0 की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।</p> <p>आवेदकगण के आवेदन के समर्थन में हेम सिंह के भतीजे तथा प्रदीप सिंह के जीजा करन सिंह की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्ति किया है कि आवेदकगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है।</p> <p>ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।</p> <p>आवेदकगण हेम सिंह एवं प्रदीप सिंह के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये।</p> <p>आवेदकगण की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि फरियादी ने उनके विरुद्ध झूठा प्रकरण कायम करा दिया है जब कि आवेदकगण के द्वारा फरियादी के घर के अंदर घुसकर कोई झगड़ा नहीं किया गया है। पुलिस आवेदकगण को गिरफ्तार करने के लिए उतारू है। यदि आवेदकगण को गिरफ्तार किया तो उनका कृषि कार्य पिछड़ जायेगा और परिवारजनों के समक्ष भरण पोषण की समस्या पैदा हो जायेगी। वास्तविकता यह है कि फरियादी ग्राम गुहीसर में दौज का टीका करने आया था और वह शराब पिये था तो उसी दौरान फरियादी की मोटरसाईकिल का प्लग किसी ने खींच लिया था। आवेदकगण अपने खेतों पर जा रहे थे, उसी समय फरियादी द्वारा गाली गलोज की गयी जिसे आवेदकगण ने मना किया और वह फिर भी नहीं माना तो झूठा मामला कायम कर दिया। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।</p> <p>अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया है और जमानत</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।</p> <p>उभय पक्ष को सुने जाने तथा कैफियत एवं केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 21.10.17 को फरियादी प्रमोद गोस्वामी के जीजा राजवीर गोस्वामी के ग्राम गुहीसर में घर के अंदर अभियुक्तगण हेम सिंह, प्रदीप सिंह, मनीष परिहार, नीतू परिहार ने फरियादीगण प्रमोद गोस्वामी एवं राजवीर गोस्वामी की मारपीट की है तथा माँ बहिन की अश्लील गालियां दी हैं एवं जान से मारने की धमकी दी है। मेडीकल रिपोर्ट के अनुसार प्रमोद गोस्वामी के सिर में, कंधे में, कूल्हे में चोट आई है। राजवीर गोस्वामी के क्लेविकल भाग पर चोट आई है। यद्यपि धारा 452 भा0दं0सं0 का अपराध अजमानतीय प्रकृति का है और शेष अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं, परंतु मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों, फरियादी पक्ष को आई चोटों तथा अपराध की प्रकृति एवं उसके स्वरूप को देखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः उनका यह अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।</p> <p>आदेश की प्रति केस डायरी सहित थाना माँ की ओर प्रेषित की जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p>मोहम्मद अजहर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद-भिण्ड म0प्र0</p>	